लगभग 12 वर्ष से, भिन्न भिन्न अवधियो ं में क्रमशः देश के सभी राज्यो ं मे ं वैट लागू किया गया। यह निर्णय सभी राज्यो ं के मुख्यमंत्रियों के सकं ल्प तदन्तर सभी राज्यों के वित्तमंत्रियों और भारत सरकार के प्रतिनिधियों की Empowered Committee द्वारा 16.11.1999 के प्रस्ताव के आधार पर लगाया गया, इसका पत्रक 17.01.2005 मे ं जारी किया गया। घोषित लक्ष्य पिछली खरीद पर अदा किये गये कर का समायोजन: टर्नओवर टैक्स/सरचार्ज/एडीषनल सरचार्ज समाप्त करना; कर के आयात को युक्तियुक्त बनाना फलतः दाम का गिरना; स्वतः कर निर्धारण; पारदर्षिता का बढ़ना; अधिक राजस्व प्राप्ति था, इस समिति द्वारा कर की दरे ं भी समान धरातल प्रदान करने के लिये प्रस्तावित की गईं। कोइ ं भी व्यवस्था या कर प्रणाली पूर्णतः त्रुटिपूर्ण नही होती। वैट इसका अपवाद नहीं है। कमेटी न ं जो प्रस्ताव दिये थे उनको धीर ं धीरे राज्यो ं न ं अपनी सुविधानुसार बदला, कर संबध ं ी प्रविष्टियों मे ं भी निरंतर संशोधन किये अतः तत्समय बनी आम धारणा कि सभी राज्यो ं मे ं कर की दर एक होगी, प्रविशिटयां समान होगं ी, एक मिथक साबित हुआ, इसकी अपनी संवैधानिक बाध्यताएं भी हैं।

सर्वप्रथम यह उल्लेख करना उचित होगा कि GST के अन्तर्गत जो प्रणाली प्रस्तावित है वह सविधान में संशोधन किये बिना सभ ं ाव नहीं है और जैसा कि सामान्य रूप से हम अवगत हैं कि 115वाँ संविधान संषोधन विधेयक अभी पारित नहीं हो सका है।

GST मे ं उत्पाद कर, सेवा कर, केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य वैट तथा कस्टम ड्यूटी एकीकृत रूप से एक ही सिस्टम मे ं लागू होगी उसका सटे आफ भी उसी व्यवस्था मे ं होगा। एक ही चालान मे ं राज्य GST, IGST, CGST आदि पृथक पृथक अंकित होगं ं और नेटवर्क के माध्यम से भुगतान और खाते रखे जायेगं ं तथा नेटवर्क के भुगतान और रिफण्ड का विवरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र, सरकार और राज्य को प्रति दिवस दिये जायेगं ं। इसी बीच निम्नलिखित 3 रिपोर्ट Empowered Committee द्वारा गठित सयं ुक्त समिति ने प्रस्तुत की हैं जो क्रमशः **GST** भुगतान प्रक्रिया, **GST** के लिए **Bussiness Process** तथा **Refund Process** के रूप मे ं अनुषंसाये ं की गईं। भारत सरकार देश के चार केन्द्रों में व्यापारियों और करदाताओ ं को अवगत करान ं के लिए कार्य कर रही है और पहला प्रयास 26.10.2015 को नइ ं दिल्ली मे ं उत्तर भारत के राज्यो ं के करदाताओं और सम्भावित करदाताओ ं के सम्मेलन के रूप मे ं किया गया। इस पूरी प्रक्रिया मे ं कुछ मूलभूत बातें स्पष्ट करना उचित होगाः–

✪ डिजिटल इंडिया के लक्ष्य के अनक्रु म मे ं GSTN अर्थात GST Network खड़ा किया गया है जिसके माध्यम स ं प्रत्येक व्यक्ति को पंजीयन का प्रार्थनापत्र उसस ं सबं ंधित संशोधन और समाप्त करना, रिटर्न फाइल करना, संशोधन करना तथा भुगतान और रिफण्ड प्राप्त करने सबं ंधी कार्य इसी नटे वर्क के माध्यम से ही होंगे।

GST PAYMENT PROCESS:

Empowered Committee ने 10 मार्च 2014 को एक संयुक्त समिति का गठन कर उसस ं भुगतान की प्रक्रिया के सबं ंध मं ं रिपोर्ट की अपेक्षा की। अनेक बैठको ं के उपरांत अप्रैल 2015 मे ं इसे अंतिम रूप दिया गया। रिपोर्ट 6 अनलु ग्नको ं सहित कुल 87 पेज मे ं है। इसका सक्षिप्त हिन्दी रूप प्रस्तुत है। रिपोर्ट का उद्देष्य इस प्रकार हैः

(क) राजकीय कोष मे ं कर संग्रह और उनसे सबं ंधित सचू नाओं के आदान प्रदान के पम्र ुख बिन्दुओं का निर्धारण।

(ख) केन्द्र और राज्य सरकार के लिये एकसमान प्रणाली के अन्तर्गत कर के उद्ग्रह ण, जमा और प्राप्त धन को केन्द्र और राज्यवार वितरण के लिए बैंकिंग व्यवस्था।

(ग) करदाता द्वारा बैंक को किये गये भुगतान का समुचित लेखा, चालान मे ं अंकित विभिन्न मदों में भुगतान का विवरण। करदाता का लेजर एकाउंट रखना तथा ITC का विवरण रखना।

(घ) G.S.T. अदा करने वाल ं करदाताओं के लिए चालान का प्रारूप निर्धारित करना।

(ङ) विस्तृ लेखा व्यवस्था जो केन्द्र और राज्य के लिए G.S.T. के सम्बंध मे ं समान हो तथा भुगतान, लेखा विवरण एवं बैंकिंग व्यवस्था स ं जुड़ी हो।

- G.S.T. कर षासन मे ं कुछ कर और ड्यूटी इस षासन की परिधि से बाहर होगं ी किन्त ु उनसे सम्बंधित भुगतान इसी व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाना। आषय यह है कि दो प्रकार के चालान होगं ं एक G.S.T. चालान और दसू रा नान G.S.T. चालान। भुगतान प्रक्रिया की प्रमुख विषेशताएं:

1. G.S.T.N Portal पर सभी चालान इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध होगं ं और अन्य प्रकार के चालान उपयोग मे ं नही आयेगं ं।
2ण करदाता को दिक्कत रहित सर्वत्र बैंक के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराना।
3ण आन लाइन भुगतान की सुविधा।
4ण इलेक्ट्रानिक प्रारूप मे ं कर संग्रह के तर्क संगत आँकड़ें।
5ण कागज रहित संव्यवहार।
6ण तीव्र लखे ा एवं उसकी रिपोर्ट।
7ण सभी प्राप्तियो ं की इलेक्ट्रानिक रिकंसीलियेषन।
8ण बैंक के लिये सरल प्रणाली।
9ण डिजिटल चालान की वेयरहाउसिंग

प्रस्तावित भुगतान विधिः

1ण करदाता द्वारा इन्टरनेट बैंकिग से, अधिकृत बैंको ं के माध्यम से डेबिट/क्रेडिट काडा ं से भुगतान। अधिकृत बैंक केवल सगं ह ण काय ं के लिये अधिकृत होंगी।

2ण अधिकृत बैंको ं मे ं काउंटर स ं भुगतान व्यवस्था प्रति चालान अधिकतम रू0 10,000.00

3. NEFT/RTGS के माध्यम से किसी अनाधिकृत बैंक से भी भुगतान।

निषेधः सरकारी विभागो/ं राज्य सरकारो ं तथा एक्सपोर्ट स्क्रिप्ट्स के भुगतान अनमु न्य नहीं।

RBI या भारतीय रिजर्व बैंक इस काय र्मे GST की एकमात्र कायर्द ायी एकमात्र बैंकर होगी।

भुगतान प्रक्रिया मे ं षामिल पक्ष...

- GST Network. GSTN.
- अधिकृत बैंको की म्ध्च्ठ षाखायें
- भारतीय रिजर्व बैंक का ई–कुबेर सिस्टम
- भारतीय रिजर्व बैंक की नागपुर स्थित केन्द्रीय लेखा विभाग
- राज्य सरकारो ं की ई–ट्रजे री तथा इलेक्ट्रानिक पे एण्ड एकाउंट कार्यालय
- लेखो ं का प्रमुख नियंत्रक तथा राज्यों के लेखा नियंत्रक
- केन्द्र एवं राज्य सरकार के कर अधिकारी

प्रक्रियाः

- करदाता GSTN से चालान तक पहंच बनायगे ा
- करदाता/अधिकृत प्रतिनिधि को बुनियादी विवरण यथा नाम/पता/ई–मेल/ मो0नबं र और GSTIN स्वतः दर्षित होगी।
- अपंजीकृत व्यापारी को अस्थायी पंजीयन दने े पर ळैज्छ पर यह सुविधा उपलब्ध होगी इसे बाद मे ं स्थायी किया जा सकता है। यह विषेश रूप से छापो ं के दौरान जनित परिस्थितियो ं के लिए है।
- बिना User ID एवं Password के पंजीकृत या अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा कर अधिकारी के निर्दषे पर भुगतान किया जा सके (जैसा कि सर्विस टैक्स के अतं र्ग त उपलब्ध हैं)।
- चालान मे क्षेत्राधिकार की स्थिति जैसा कमिष्नरी/डिवीजन/रेन्ज का उल्लेख नही होगा।
- ड्राफ्ट चालान तैयार करने के बाद करदाता उसके विवरण भरेगा इसमें Mandatory Field होगं ी और उसे CGST, IGST, Additional Tax एव ं SGST भरन े की सुविधा होगी। चालान अस्थाई रूप से भरकर सेव किया जा सकता है ताकि बाद मे ं पूरा किया जा सके इसका संषोधन किया जा सकता है और अंतिम रूप दने े के बाद सुविधा

  के लिए प्रति भी छाप सकता है। इस प्रकार के चालान पर 14 डिजिट का विषिश्ट Common Portal Identification Number होगा, उसमे ं विवरण भरना होगा।
- एकबार करदाता के कैष लेजर मे ं भुगतान दर्ज होने पर ळैज् छ उस ब्छ उसे रोक दगे ा और पुनः प्रयोग सभ्ं ाव नही होगा।

पैरा 125 मे ं यह उल्लेख है कि निर्धारित प्रारूप पर चालान जिसमे ं सभी विवरण दर्ज हो ं सरकार को भुगतान करने का प्रमाण माना जायगे ा।

नोटः इसके अतिरिक्त रिपोर्ट के सभी अंष बैंक, शेड्यूल बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रणाली के सचांलित करने स ेसंबंधित हैं। <u>पंजीयन</u>

- **Empowered Committee** ने 10 मार्च 2014 की बैठक में ज्वाइंट कमेटी रिपोर्ट के आधार पर पंजीयन और रिटन र् के सबं ध मे ं आई GST Model के लिये अपक्षे ाओ ं पर अपनी अनुशंसायें जुलाई 2015 में सार्वजनिक कीं।
- किसी व्यापार का कर अधिकारियो ं के यहां पंजीयन एक विशिष्ट पहचान कोड प्राप्त करना है ताकि व्यापार स े सबं धित आंकड़ े और सम्व्यवहार को आपस मे ं जोड़ा जा सके। किसी कर प्रणाली मे ं यह सबस े मूलभूत आवष्यकता है ताकि व्यापार के सबं ध मे ं निर्धारित अपेक्षाओ ं का सत्यापन किया जा सके।
- पंजीयन होने पर निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध होगीः–

1- Goods या सेवाओ ं के सप्लायर के रूप मे ं विधिक मान्यता।

2- Input Goods पर भुगतान किये गये कर या सवे ाओं के आधार पर GST के ऐसे भुगतान जो माल या सवे ाओं की सप्लाई पर बनता हो समायोजन करना, माल या सेवाओ ं के खरीददार या प्राप्तकर्ता को अदा किये गये कर की जमाखर्ची।

अवधारणायें:

इस रिपोर्ट मे ं जो व्यापार का सम्व्यवहार प्रस्तावित है वह निम्नलिखित अवधारणाओ ं पर आधारित हैः–

क) विधिक व्यक्तित्व ळैज् पंजीयन के बिना न तो अपन े उपभोक्ताओ ं स े GST प्राप्त कर सकता है और न ही भुगतान किये गये कर का Input Tax Credit प्राप्त कर सकता है।

ख) सम्पूर्ण वार्शिक विक्रय धन की एक निर्धारित सीमा होगी जिसमे ं निर्यात/करमुक्त सप्लाई (माल या सवे ाओं की) को अखिल भारतीय स्तर पर आगणित किया जायगे ा और उस सीमा के नीचे पंजीयन की अपेक्षा नही होगी।

ग) कोई व्यापारी जब सीमा रेखा पार कर लेगा या नया व्यापार प्रारम्भ करता है तो उसे पंजीयन आवेदन, पंजीयन प्राप्त करने के लिये निर्धारित दायित्व प्रारम्भ होने स े तीस दिन के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन की प्रभावी तिथि सभी मामलो ं मे ं प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करन े की तिथि होगी चाहे वह निर्धारित अवधि मे ं प्रस्ततु किया जाये या तीस दिन के पष्चात।

घ) यदि प्रार्थनापत्र तीस दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दिया जाता है तो प्रस्तुत करने के दिनांक स े उसे I.T.C. का लाभ मिलेगा किन्त ु पंजीयन के पूव र् की अवधि के लिये यदि तीस दिन के पष्चात प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उससे पूव र् की अवधि के लिये I.T.C. अनमु न्य नही होगी।

ङ) पंजीयन अखिल भारतीय समस्त वार्शिक टर्नओवर की सीमा रखे ा से पहल े भी स्वचे छा से प्राप्त किया जा सकता है। स्वचे छा स े प्राप्त पंजीयन लेने पर वह सीमा रखे ा पार करने के पूव र् **Credit Chain** मे ं प्रवेष कर सकता है यदि उसन े समाधान योजना का चयन नही किया है।

च) **Compounding Turnover** समस्त वार्शिक ज्नतदवअमत स` अधिक निर्धारित होना चाहिए जिस` Compounding Turnover कहेगं` और Credit Chain मे ं प्रविश्ट हुये बिना निर्धारित दर स` कर अदा किया जा सकता है किन्त ु इस योजना के अन्तर्गत कर वसूल करने या I.T.C. का लाभ लने ा अनमु न्य नही होगा।

छ) समाधान योजना मे ं निर्धारित सीमा पार करने या Scheme स` बाहर जाने की सुविधा होगी। समाधान योजना मे ं रहने के लिये प्रतिवर्श आवेदन नही दने ा है। किन्त ु एक बार योजना से बाहर होने पर अगले वित्तीय वर्श मे ं आवेदन देना होगा।

ज) अन्य सभी करदेय व्यक्ति जो समाधान योजना के पात्र हों, यह अनिवाय ं नही होगी, रिटन ं मास दर मास फाइल किये जा सकते हैं और तब ऐसी सप्लाई मे ं I.T.C. Claim किया जा सकता है।

छ) यदि कोई करदेय व्यक्ति अन्तर्राज्यीय सप्लाई करता है और Reverse Charge के अन्तर्गत GST अदा करने का दायी हो जाता है तो उसे अनिवार्यतः पंजीयन प्राप्त करना होगा और उस` छटू की अन्य सुविधा नही मिलेगी किन्त ु कोई एकल व्यक्ति व्यक्तिगत उपयोग हेत ु सेवाओ ं का आयात करता है तो यह व्यवस्था उस पर लागू नही होगी।

ज) सयं ुक्त राश्ट्र की सभी संस्थायें जो टैक्स की वापसी का दावा करेगं ी उन्हे एक विषिश्ट पहचान नं0 GST Portal स` लेना होगा। इन संस्थाओ ं को सप्लाई करने वाले स` अपेक्षा है कि वह अपनी इनवाइस पर जो I.D. अंकित करना होगा और यह सवे ाये B2B और इनवाइस अपलोड करनी होगी।

झ) Input Service Distributor (ISD) जो केन्द्रीय विधि मे ं है जारी रखा जा सकता है यदि GST Law अनुमोदित कर। उन्हे GSTIN लेना होगा ताकि सेवाओ ं पर अदा किया GST विभिन्न स्थलो ं पर पृथक रूप से पंजीकृत को दिया जा सके।

ञ) यह अपवाद के रूप मे ं सेवाओं के सबं ंध मे ं लाग ू होगा। ड्राफ्टिगं कमेटी को CENVAT Credit Rules के सदं र्भ में गौर करने के लिये कहा गया है।

ट) वतर्म ान में पंजीकृत सभी व्यक्ति चाहे वह केन्द्र या राज्य सरकार के अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत हों उन्हे ळैज् पंजीयन सख्ं या प्रदान की जायेगी जिसे ळैज्च्छ कहेंग।

ड) कर अधिकारी प्रवतर्न के प्रकरण में स्वतः पंजीयन द` सकत` हैं यदि व्यक्ति के पास च।छ न हो यह अस्थाई होगा और बाद मे ं PAN Based Registration कहलायेगा।

ढ) प्रत्येक राज्य के लिये करदये व्यक्ति पृथक पृथक पंजीयन लेगा।

ण) एक राज्य के अंदर Business Verticals को विभिन्न पंजीयन दिये जा सकत` हैं यदि सभी vertical यदि GST कानून अनमु ति द।

त) यदि कोई सप्लायर नियमित रूप स` अन्य राज्यों में पंजीकृत नही है और किसी राज्य मे ं निष्चित अवधि के लिये व्यापार करना चाहता है तो उसे उस राज्य मे ं उस सीमित अवधि के लिये पंजीयन लेना होगा और ये Casual Dealer Composition Scheme की सुविधा के पात्र नही होगं` किन्त ु सप्लायर खरीद और आंतरिक सप्लाई के लिये प्ज् का दावा कर सकता है। Registration की अवधि प्रमाणपत्र पर अकित होगी और इसका प्रमाणपत्र नियमित करदाताओ ं से भिन्न होगा। प्रार्थनापत्र मे ं भी सभं ावित सप्लाई का विवरण होगा। रिटन ं भिन्न होगा और ऐसा करदाता स्वतः आगणित कर संभावित देयता Advance Tax के रूप मे ं जमा करगे ा। दये धनराषि दो भाग मे ं डिमांड ड्राफ्ट (केन्द्रीय एवं प्रान्तीय) जमा करगे ा और यह अंतिम दायित्व निस्तारित करने पर वापस कर दी जायगे ी।

थ) Non Resident Supplier की अवधारणा भी प्रस्तुत की गइ ं है इसके अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य का निवासी नही है जहाँ उसन` पंजीयन के लिये आवेदन दिया किंतु अन्य राज्य में पंजीकृत है और वह अन्तर्राज्यीय माल/सवे ाओ ं की सप्लाई करता है। अन्य राज्य मे ं पंजीकृत होने के आधार पर उस राज्य मे ं भी जहाँ आवेदन दिया जा रहा है सरलता स` पंजीकृत हो सकता है और उस पर Casual Dealer के नियम लागू किये जा सकते हैं उनसे कोई प्रतिभूति या Advance Tax नही लिया जायेगा।

द) Registration Number, PAN आधारित 15 अंको ं का GSTIN इस प्रकार होगा

State Code	च।छ											Entity Code	Blank	Check Digit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

प्रथम दो अंक मे ं Indian Census 2011, मे ं जो नंबर दिये गये थे वह अंकित होगं` उ0प्र0 राज्य के लिये यह अंक 09 है।

ध) 14वाँ क्रमांक भविश्य के लिये रिक्त रहगे ा।

न) एक ही राज्य मे ं करयोग्य व्यक्ति के Business Verticals के लिये विभिन्न पंजीयन दिये जा सकते हैं किन्त ु इसके लिये Business Verticals को ITC अनमु न्य नही होगा जब तक कि Goods या Service वास्तव मे ं सप्लाई न की गई हो।

प) बकाये की वसूली के लिये भिन्न भिन्न पंजीकृत सभी Vertical Single Legal Entity माने जाये।

फ) Compounding स` सामान्य Scheme मे ं या इसके विपरीत वापसी सभं ाव है किन्त ु निम्नलिखित व्यवस्थाओं के अधीनः–

(3.7) जो Compounding Scheme के अन्तर्गत नही है उसके लिये वित्तीय वर्श के प्रारम्भ मे ं किन्त ु पिछले वर्श की 31 मार्च की तिथि के पूव ं आवेदन दे सकत` हैं।

भ) एक ही वित्तीय वर्श में Compounding Scheme के अन्तर्गत आने वाले षतों ं को पूरा करने पर Normal Scheme ले सकत` हैं।

म) Compounding Scheme मे ं आने वाले, निर्धारित सीमा पार करने पर स्वतः Normal Scheme मे ं सीमा पार करने के अगले दिन स` षामिल माने जायेगं ।

य) उक्त परिवर्तनों के सम्बंध मे ं रिटर्न के प्रारूप मे ं निर्धारित परिवतर्न स्वतः होने की व्यवस्था होनी चाहिए और यह सचू ना Portal पर उपलब्ध होनी चाहिए।

अरविन्द कुमार सिंन्हा

मचेर्न्टस् चैम्बर आफ उत्तर प्रदशे ा, कानपुर

नरेन्द्र शर्मा एडवोकेट सके ्रट्री
चेयरमैन ट्रेड कमेटी,
मचेर्न्टस् चैम्बर आफ उत्तर प्रदशे ा, कानपुर